दूरभाष: / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506

Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj.

roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0 जी0/302/21/001/ प्रि0का0प0प्रय0 — दिनांक 6/03/2021

To, — E-Mail/Registered Post

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail:- judicial-ngt@gov.in

Subject:- Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 02/2021 Vikas Pandey Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. in order dated 07-01-2021.

Sir,

With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on dated 07-01-2021 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 02/2021 Vikas Pandey Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. The compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl:-As Above.

Your Sincerely

(Pradeep Kumar Vishwakarma)
Regional Officer 06/03/21

Copy to:-

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
2. District Magistrate, Fatehpur for information.
3. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
5. Sri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/NGT, B-235, Sector-19, Noida, for perusal and necessary action please.

Regional Officer

Scanned with CamScanner

मीनाक्षी सिंह
5/03/2021

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1948/30–खनिज (2020–21) दिनांक 04/03/2021

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली मे योजित ओरिजन अप्लीकेशन नम्बर–02/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली मे योजित ओरिजन अप्लीकेशन नम्बर–02/2021 विकास पाण्डेय बनाम उ0प्र0 में सुनवाई करते हुये दिनांक 07.01.2021 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

"Grievance in this application is against illegal mining on Yamuna river in Fatehpur District, UP. The applicant has referred to various complaints and media reports in support of the allegation.

Let the State PCB and District Magistrate, Fatehpur look into the matter and take appropriate action in accordance with law. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination. An action taken report be furnished within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to the State PCB and District Magistrate, Fatehpur by e-mail. List for further consideration on 09.04.2021."

उक्त वाद के प्रार्थी/याची श्री विकास पाण्डेय की शिकायतों की जॉच/निस्तारण हेतु कार्यालय पत्र सं0–1425 दिनांक 12.01.2021 द्वारा टीम का गठन करते हुये जॉच कराई गई, जॉच टीम द्वारा प्रकरण की जॉच करते हुये जॉच आख्या दिनांक 18.02.2021 प्रस्तुत की गई है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 07.01.2021 के अन्तर्गत State PCB को उपरोक्त प्रकरण मे compliance and coordination के लिए नोडल एजेंन्सी नामित किया गया है।

अतः जॉच आख्या दिनांक 18.02.2021 मूलरूप में समस्त संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही पूर्ण कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

AEE
06/03/21

04/03/2021
(अपूर्वा दुबे)
जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

Scanned with CamScanner

<u>संयुक्त जांच आख्या</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली मे योजित ओरिजन अप्लीकेशन नम्बर– 02/2021 विकास पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं :–

"Grievance in this application is against illegal mining on Yamuna river in Fatehpur District, UP. The applicant has referred to various complaints and media reports in support of the allegation.

Let the State PCB and District Magistrate, Fatehpur look into the matter and take appropriate action in accordance with law. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination. An action taken report be furnished within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to the State PCB and District Magistrate, Fatehpur by e-mail. List for further consideration on 09.04.2021."

उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी फतेहपुर के पत्र सं0–1425/30–खनिज (2020–21) दिनांक 12.01.2021 द्वारा उप जिलाधिकारी, फतेहपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज, प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज, खान निरीक्षक, फतेहपुर की संयुक्त जांच टीम गठित की गयी।

संयुक्त जांच टीम द्वारा शिकायती पत्र में उल्लिखित खनन क्षेत्र की जॉच दिनांक 18.02.2021 को शिकायतकर्ता श्री विकास पाण्डेय की उपस्थिति में उनके द्वारा दी गई शिकायत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं को समावेशित करते हुये मौके की जॉच की गई। जॉच आख्या निम्नवत् है :–

1. श्रीमती रतना जादोन के पक्ष में बालू/मोरम खण्ड सं0–ए–11 ग्राम अढ़ावल तहसील व जिला फतेहपुर उ0प्र0 रकबा 25.00 हे0 का खनन पट्टा दिनांक 06.11.2020 से 05.11.2025 तक की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादितहै, जिसके कोर्डिनेट्स निम्नवत् है :–

(A)	N-25°-49.917'	E-80°-29.248'
(B)	N-25°-49.963'	E-80°-29.633'
(C)	N-25°-50.135'	E-80°-29.713'
(D)	N-25°-50.145'	E-80°-29.228'

2. संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त कोर्डिनेट्स के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र की स्थलीय जॉच की गई। जॉच के समय मौके पर स्वीकृत क्षेत्र के बिन्दु A, एवं B, के सीमा स्तम्भ अपने स्थान पर अनुरक्षित पाये गये। बिन्दु C नदी के स्थिर जल क्षेत्र में स्थित है, जहॉं गृष्मकाल में सतह से बालू उपलब्ध होने की सम्भावना है। बिन्दु D यमुना नदी की मुख्य धारा से पहले स्थित सूखे क्षेत्र पर है, जिसका सीमा स्तम्भ अनुरक्षित पाया गया, बिन्दु D सीमा स्तम्भ के आसपास स्वीकृत क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में बालू/मोरम उपलब्ध है। वर्तमान में इस भाग में परिवहन हेतु मार्ग उपलब्ध नहीं है।

Scanned with CamScanner

3. निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र में कहीं भी नदी की जलधारा को अवरोधित कर परिवहन मार्ग का निर्माण नहीं पाया गया है। परन्तु क्षेत्र में नदी की जलधारा से पहले जलप्लावित क्षेत्र में पूर्व मे बनाये गये रास्ते के चिन्ह देखे गये जो वर्तमान में ध्वस्त पाया गया। स्वीकृत खनन क्षेत्र मे पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ और संचालित अवस्था मे पाया गया, तौल मशीन (वेब्रीज) लगी पायी गयी।

4. मौके पर उपस्थित पट्‌टाधारक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि "पी0टी0जेड कैमरा व वेब्रीज मशीन निदेशालय के कमाण्ड सेन्टर से पूर्व मे इन्टग्रेट कराये गये हैं। वर्तमान मे खनन कार्य बन्द है, खनन कार्य संचालित करने के पूर्व पी0टी0जेड0 कैमरा व वेब्रीज मशीन इन्टीग्रेशन की पुष्टि करने के उपरान्त ही खनन कार्य किया जायेगा। स्वीकृत क्षेत्र मे कहीं पर भी जल धारा को अवरोधित नही किया गया था, माह दिसम्बर में नदी का जल स्तर थोड़ा बढ़ा होने के कारण छिछला रूप मे बहता हुआ पानी था।"

5. स्वीकृत खनन क्षेत्र का रकबा 25 हे0 है, जिसमे प्रति वर्ष बालू/मोरम की खनन/परिवहन किये जाने हेतु 2,50,000 घ0मी0 मात्रा स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष पट्‌टाधारक द्वारा अब तक मात्र 11234 घ0मी0 बालू/मोरम की निकासी राजस्व का अग्रिम किस्तों का भुगतान रु0–5,00,00,000/– (रु0–पॉच करोड़) जमा कर किया गया है।

विषयगत खनन क्षेत्र हेतु पूर्व में श्री विकास पाण्डेय द्वारा की गई शिकायतों पर संज्ञान लेते हुये जनपद स्तर पर निम्नवत् कार्यवाही की गई है :–

(I) दिनांक 05.12.2020 को प्रश्नगत क्षेत्र ग्राम अढ़ावल खण्ड सं0–ए–11 की जॉच की गई थी, जॉच के समय सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही पाये जाने, पी0टी0जेड0 कैमरा स्थापित नही पाये ज़ाने तथा जलदधारा को रोंकने के प्रयास से मेड़ का निर्माण पाये जाने के साथ ही 02 मशीनों के नियम विरूद्ध कार्य करने के आरोप में निरूद्ध किया गया था, उपरोक्त अनियमितता कारित करने के आरोप मे पट्‌टाधारक को कार्यालय नोटिस सं0–1332/30– खनिज (2019–20) दिनांक 17.12.2020 निर्गत की गई थी। दिनांक 05.12.2020 की जॉच के समय जल धारा के अवरोध को हटवा दिया गया था। पट्‌टाधाराक द्वारा नोटिस दिनांक 17.12.2020 के अनुपालन में शास्ति की धनराशि रु0–2,50,000/–चालान सं0–एकेडी–200273710 दिनांक 22.12.2020 द्वारा जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत कर दी गई।

Scanned with CamScanner

(II) दिनांक 20.12.2020 को विषयगत खनन क्षेत्र की जनपद स्तर पर पुनः जॉच की गई, जॉच के समय खनन कार्य बन्द पाया गया। खनन क्षेत्र में वेब्रीज मशीन तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित पाये गये, परन्तु क्षेत्र में पट्टाधारक द्वारा नदी की जल धारा तक पहुचकर जल धारा से बालू/मोरम का खनन किया गया पाया गया था। पट्टाधारक द्वारा अनियमित खनन किये जाने के कारण तथा उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–41 का उल्लंघन किये जाने के आरोप मे थाना ललौली में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–0327/2020 अन्तर्गत धारा सार्वजनिक सम्पत्तिनुकसान निवारण अधिनियम–1984 की धारा 3, 5 व उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–41 के तहत दर्ज कराई गई थी। उपरोक्त उल्लंघन के आरोप में कार्यालय पत्र सं0–1352/30–खनिज (2019–20) दिनांक 26.12.2020 जारी की गई, जिसके अनुपालन में पट्टाधारक द्वारा शास्ति की धनराशि रु0–5,00,000/–चालान सं0–एकेडी –200279349 दि0–28.12.2020 के माध्यम से जमा किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुये जनपद स्तर से पूर्व में कार्यवाही की गई है।

संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण दिनांक 18.02.2021 को प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र खण्ड ए–11 अढ़ावल में खनन कार्य बंद पाया गया। सीमा स्तम्भ ए0,बी0, एवं डी0 अपने निर्धारित स्थान पर अनुरक्षित पाया गया। पी0टी0जेड0 कैमरा व वेब्रीज लगे पाये गये। क्षेत्र में खनन योग्य बालू/मोरम की प्रचुर मात्रा पायी गयी।

जॉच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

18.02.21

खान निरीक्षक फतेहपुर	प्रभारी अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	18/2/21 उपजिलाधिकारी फतेहपुर	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज AEE

Scanned with CamScanner

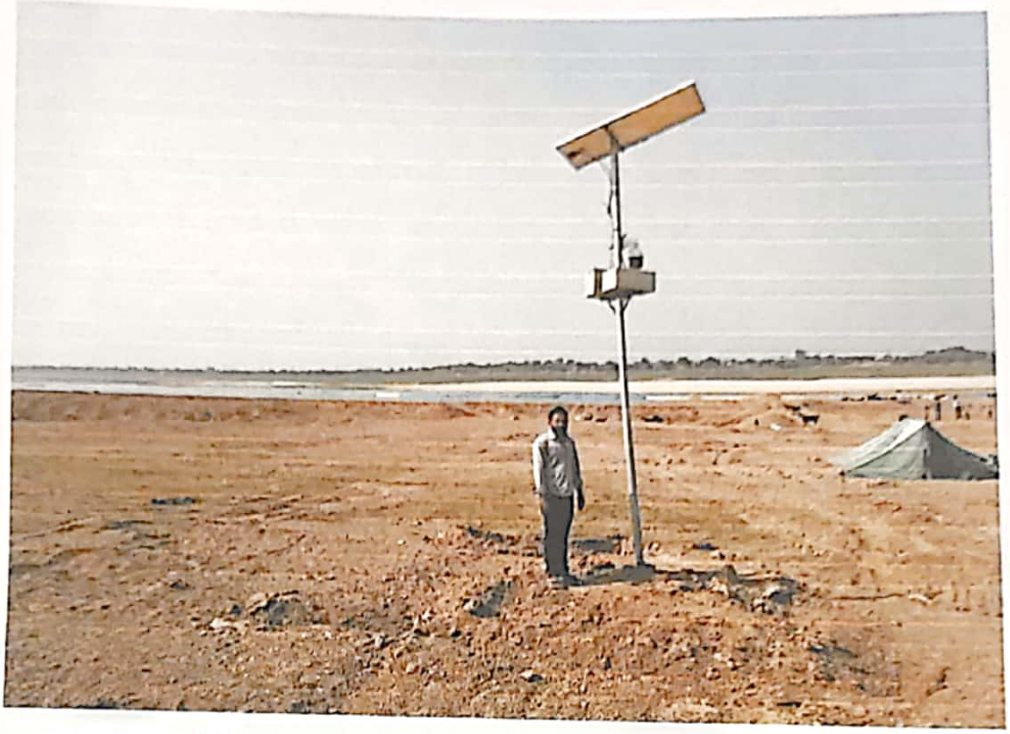

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

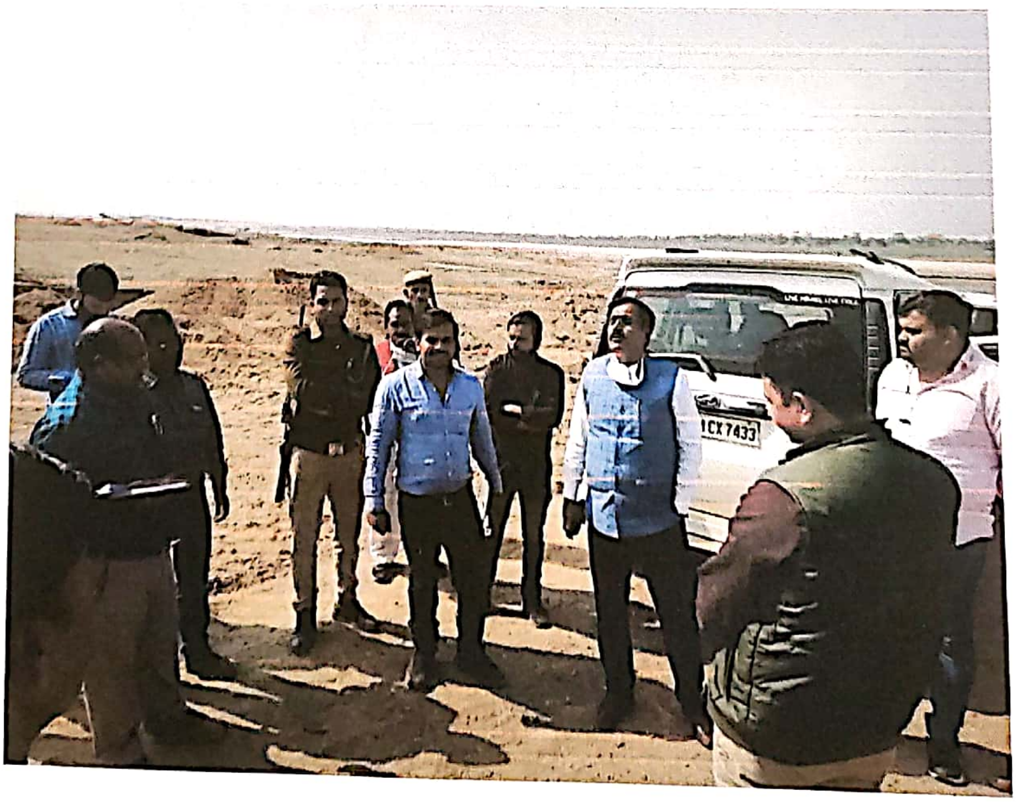

Scanned with CamScanner

दि० 18-02-2021 नजरी नक्शा ग्राम - अठावल खण्ड संख्या -11

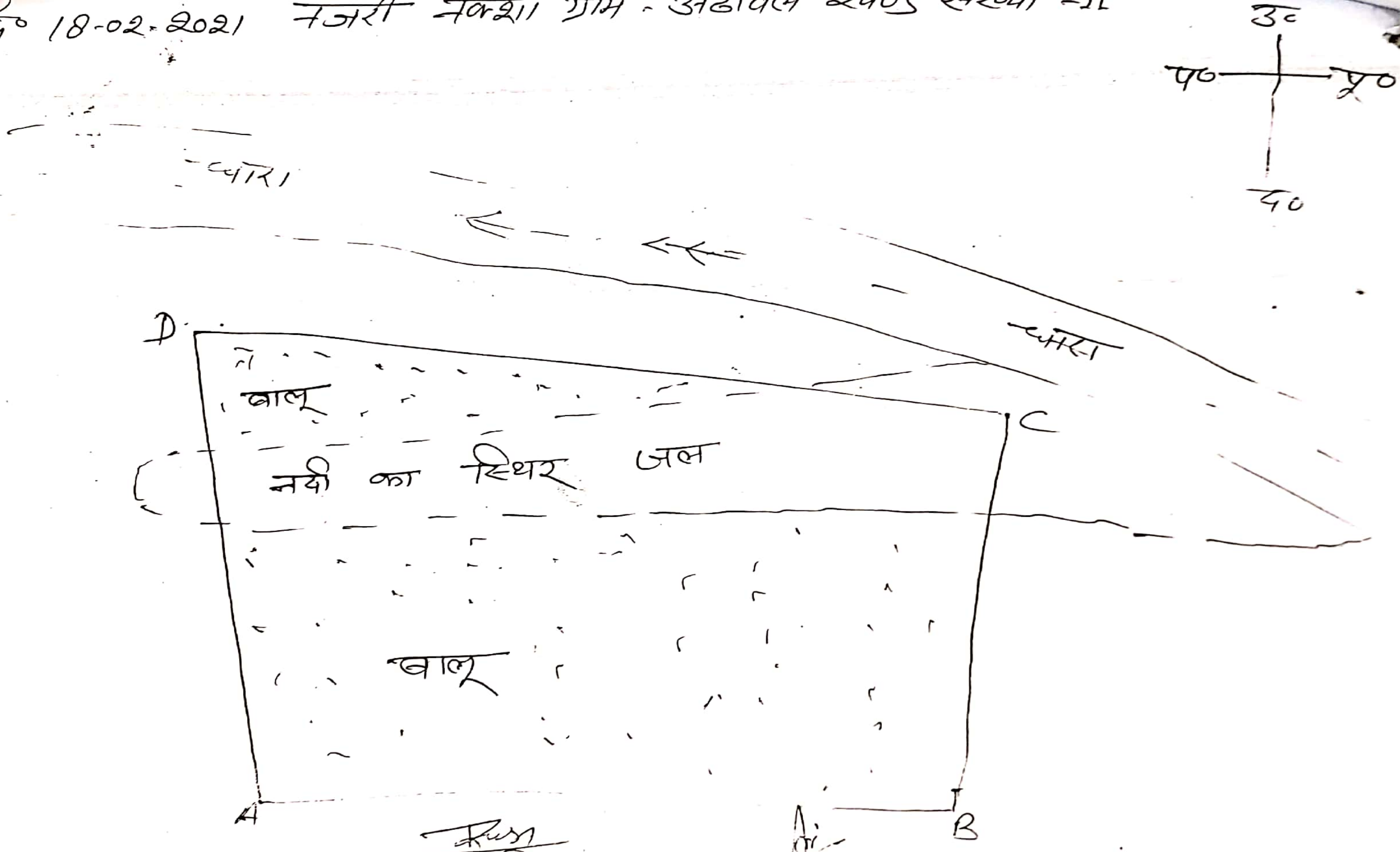

दि० 18-02-2021

संयुक्त जॉच आख्या

जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत संचालित खनन पट्टा ग्राम अढ़ावल खण्ड सं0–ए–1, ए–11 व ग्राम ओती खण्ड सं0–ओ–4 का औचक निरीक्षण संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी, फतेहपुर की अध्यक्षता में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.12.2020 को किया गया। आख्या क्षेत्रवार निम्नवत् है :–

1. **मेसर्स मेसर्स अनन्तादृष्टि मल्टीवेचर्स एल0एल0पी0 पार्ट श्रीमती ऊषा तोमर के पक्ष में स्वीकृत मोरम खण्ड सं0–ए–1** में खनन स्वीकृत सीमांकित क्षेत्र में किया जा रहा था। खनन क्षेत्र के सीमारतम्भ स्थापित पाये गये। खनन क्षेत्र में वेट ब्रिज मशीन, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, पी0टी0जेड0 कैमरा अनुरक्षित पाये गये। पट्टाधारक के प्रतिनिधि श्री मंयक तोमर को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुरूप खनन/परिवहन कार्य तथा खनन क्षेत्र आने–जाने वाले रास्ते मे Water sprinkling कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि वाहनों में तत्काल माइन टैग लगाना सुनिश्चित करें तथा मानक के अनुरूप ही बालू/मोरम का लदान करें।
2. **मेसर्स बामदेव ग्लोबल प्रा0लि0 अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्रियांश जैन के पक्ष में स्वीकृत मोरम खण्ड सं0–ओ–4 ग्राम ओती** में खनन स्वीकृत सीमांकित क्षेत्र में किया जा रहा था। खनन क्षेत्र के सीमास्तम्भ स्थापित पाये गये। खनन क्षेत्र में जलधारा से कोई खनन होता नही पाया गया। खनन क्षेत्र में वेट ब्रिज मशीन, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, पी0टी0जेड0 कैमरा अनुरक्षित पाये गये। पट्टाधारक के प्रतिनिधि को खनन/परिवहन कार्य तथा खनन क्षेत्र आने–जाने वाले रास्ते मे Water sprinkling कराये जाने तथा खनन क्षेत्र में मजदूरों एवं कर्मचारी के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु निर्देशित किया गया।
3. **श्रीमती रतना जादोन पत्नी बीरेंन्द्र सिंह जादोन निवासी ई–7 एम–728 अरेरा कालोनी भोपल (म0प्र0) के पक्ष में स्वीकृत मोरम खण्ड सं0–ए–11 ग्राम अढ़ावल** में जॉच के समय खनन कार्य बन्द पाया गया। खनन क्षेत्र में वेट ब्रिज मशीन तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित पाये गये, परन्तु क्षेत्र में निम्न खामियॉं पायी गईं–
   (I) खनन क्षेत्र में सीमास्तम्भ अनुरक्षित नही पाया गया।
   (II) खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा संचालित/स्थापित नही पाया गया।
   (III) जॉच के समय खनन क्षेत्र में देखा गया कि पट्टाधारक/प्रतिनिधि द्वारा जलधारा को रोकें जाने हेतु मिट्टी/बजरा/झाड़ द्वारा मेड़ का निर्माण दो मशीनों के माध्यम से किया जा रहा था, जिसे तत्काल उसी समय ध्वस्त कराते हुये जलधारा के अवरोध रूपी मेड़ को हटवा दिया गया तथा उक्त कार्य मे संलिप्त 02 मशीनों को तत्काल सीज करते हुये पट्टाधारक के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया।

उक्त कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–59 का उल्लंघन है, जिसमे यह उल्लिखित है कि **"कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार, जो नियम–44 में उपबन्धित की गयी किसी शर्तो को भंग करें, पचास हजार रूपये की शास्ति उदग्रहित किये जाने हेतु दायी होगा। शास्ति की उक्त धनराशि, जमा करने में विफल होने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी"**। उक्त प्राविधानित नियम के तहत प्रति चूक हेतु अर्थदण्ड तथा दोनों सीज मशीनों पर पृथक से अर्थदण्ड/शमन शुल्क लिया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

5/12/20
खान अधिकारी,
फतेहपुर

05/12/2020
उप जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

Scanned with CamScanner

E-mail / पंजी०डा०

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1332 /30–खनिज (2019–20) दिनांक 17 / 12 /2020

नोटिस

श्रीमती रत्ना जादोन पत्नी श्री वीरेंन्द्र सिंह जादोन,
निवासी ई–7 एम–708 एरेरा कालोनी भोपाल (म0प्र0)
ई–मेल आई0डी0–ratnajadonctp@gmail.com

संयुक्त निरीक्षण के दौरान दिनांक 05.12.2020 को आपके पक्ष में स्वीकृत मोरम खनन क्षेत्र ग्राम अढ़ावल खण्ड सं0–ए–11 में टीम द्वारा जॉच की गई, जॉच आख्या के अनुसार आपके खनन क्षेत्र में सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही पाया गया, पी0टी0जेड0 कैमरा स्थापित नही पाये गये, जलधारा को रोंकने के प्रयास से मेड़ का निर्माण पाया गया एवं 02 मशीनें नियम विरूद्ध कार्य करने के आरोप में आपके प्रतिनिधित की अभिरक्षा मे दिया गया है।

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–59 का उल्लंघन है, जिसमे यह उल्लिखित है कि **"कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार, जो नियम–44 में उपबन्धित की गयी किसी शर्तों को भंग करें, पचास हजार रूपये की शास्ति उदग्रहित किये जाने हेतु दायी होगा। शास्ति की उक्त धनराशि, जमा करने में विफल होने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी"।**

अतः उक्त के सम्बन्ध में आप एक सप्ताह के अन्दर स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त प्राविधिनित नियम 59 के तहत प्रति चूक रु0–50,000.00 के अनुसार (कुल पॉच चूक के अनुसार रु0–2,50,000.00) का जुर्माना/शास्ति अधिरोपित किया जाये। उक्त विनिर्दिष्ट अवधि में आप द्वारा अपना पक्ष नही रखने पर यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है। तदोपरान्त प्राविधानित नियम के अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

16/12/2020
(संजीव सिंह)
जिलाधिकारी,
फ़तेहपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
2. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।

16/12/2020
जिलाधिकारी,
फ़तेहपुर।

ial 1800266868> <Wear Masks, Stay Safe>
भारतीय डाक
India Post
0787 13223IN IVR:8285787
RL FATEHPUR COURT SO <212601>
Counter No:3,18/12/2020,12:50
To:RATNA JADIN ,ARERA COLONY
PIN:462016, R.S.Nagar S.O
From:D M,FTP
Wt:20gms
Amt:2 .00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

Scanned with CamScanner

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Transaction No.: **AKD200273710**	Transaction Date:**22/12/2020**
Assessment Year:**2020-2021**	Tax Period: **ANNUAL**
Name of the Bank:	***State Bank of India***
Unique Id:	
Depositor Name:	**RATNA JADON**
Depositor Address:	

Head	Description	Serial No.	Amount (In Rs.)
0853001020100000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	250000.00
	Totals of the above heads	--	250000.00

A SUM OF Rs. 250000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON *State Bank of India* HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositer Remarks->PENALTY GRAMM ADAVAL A 11 RAKBA 25 HECTARE YAMUNA MORAM NOTICE NO 1332 17 12 2020)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAAMRVSB9, Scroll Date:-NA
Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow referring CPAAMRVSB9 for status of the deposit.

Scanned with CamScanner

संयुक्त जॉच आख्या

जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 18.12.2020 के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर की अध्यक्षता में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल, प्रभारी निरीक्षक, थाना ललौली, सर्वेक्षक, क्वैरी कार्यालय प्रयागराज के साथ खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.12.2020 को जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत संचालित खनन पट्टा ग्राम अढ़ावल खण्ड सं0–ए–11 का स्थलीय निरीक्षण संयुक्त रूप से किया गया, निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. **श्रीमती रतना जादोन पत्नी बीरेंन्द्र सिंह जादोन निवासी ई–7 एम–728 अरैरा कालोनी भोपल (म0प्र0) के पक्ष में स्वीकृत मोरम खण्ड सं0–ए–11 ग्राम अढ़ावल** में जॉच के समय खनन कार्य बन्द पाया गया। खन क्षेत्र हेतु वेट ब्रिज मशीन चालू हालत मे था तथा वेट ब्रिज का कैमरा भी चालू था। खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड कैमरा नही स्थापित था। खनन के चिन्हों से स्पष्ट है कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बालू/मोरम का खनन कार्य किया जा रहा था, परन्तु स्वीकृत क्षेत्र में यमुना नदी की जलधारा तक पहुँच कर जलधारा से खनन किया गया है। जलधारा तक पहुचने के लिए पट्टाधारक द्वारा कैची/पहुँच मार्ग बनाकर खनन किया गया है, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) 1963 के नियम–41 (ज) का उल्लंघन है। पर्यावरण तथा लोक सम्पत्ति का भी नुकसान है जिस कारण दिनांक 20.12.2020 को थाना ललौली में पट्टाधारक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
2. पूर्व में संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 05.12.2020 द्वारा जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत स्वीकृत बालू/मोरम खनन क्षेत्र ग्राम अढ़ावल खण्ड सं0–ए–11 की जॉच की गई थी, जॉच के समय सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही पाये जाने, पी0टी0जेड0 कैमरा स्थापित नही पाये जाने तथा जलधारा को रोंकने के प्रयास से मेड़ का निर्माण पाये जाने के साथ ही 02 मशीनों के नियम विरूद्ध कार्य करने के आरोप में निरूद्ध किया गया है, उपरोक्त अनियमितता कारित करने के आरोप मे पट्टाधारक को कार्यालय नोटिस सं0–1332/30–खनिज (2019–20) दिनांक 17.12.2020 जारी की गई है। दिनांक 05.12.2020 की जॉच के समय ही खान अधिकारी फतेहपुर द्वारा जलधारा के अवरोध रूपी मेड़ को हटवा दिया गया था। पुनः पट्टाधारक द्वारा बिन्दु–1 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार नियमो का उल्लंघन किया गया है।

उक्त कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–41 (ज) का उल्लंघन है। उक्त प्राविधानित नियम का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–59 (4) (1) के तहत प्रत्येक अवसर पर अर्थदण्ड/शमन शुल्क लिया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

20.12.2020 बहादुर मौर्य ... निरीक्षक ... फतेहपुर

20.12.20 M.I.

20/12/2020 Mo-Hp

SDM(S) 20/12/2020

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): फतेहपुर P.S. (थाना): ललौली Year (वर्ष): 2020
FIR No. (प्र.सू.रि. 0327 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 20/12/2020 19:24 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
2	सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	5
3	उत्तर प्रदेश लघु खनिजों (रियायत) नियम, 1963	41

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): रविवार Date From (दिनांक से 20/12/2020 Date To (दिनांक तक) 20/12/2020
Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 15:30 बजे Time To (समय तक): 15:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 20/12/2020 Time (समय): 19:24 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 027 Date & Time (दिनांक और समय): 20/12/2020 19:24 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल): Beat No. (बीट सं.):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर - पश्चिम, 3 किमी
(b) Address (पता): खण्ड संख्या A-11 अढावल रकबा ,25 ग्राम अढावल
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): अजीत कुमार पाण्डेय खान निरीक्षक फतेहपुर
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h)Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खनन कार्यालय फतेहपुर ,कोतवाली,फतेहपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	खनन कार्यालय फतेहपुर ,कोतवाली,फतेहपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

थाना ललौली जनपद-फतेहपुर

Scanned with CamScanner

(I) Occupation (व्यवसाय):

(J) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):91-9453000549

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रत्ना जादौन		पति का नाम : वीरेन्द सिंह जादौन	1. ई-7-एम 728 अरैरा कालोनी , कोतवाली भोपाल,भोपाल,मध्य प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपति श्रेणी)	Property Type (सम्पति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी टाइप शुदा सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना ललौली जनपद फतेहपुर। महोदय, कृपया अवगत कराना है, कि आज दिनांक 20.12.2020 को समय लगभग 15.30 बजे श्रीमती रतना जादौन पत्नी वीरेन्द सिंह जादौन नि0ई-7 एम- 728 अरैरा कोलोनी भोपाल (म0प्र0) पट्टाधारक को स्वीकृत बालू/ मोरम खनन क्षेत्र खण्ड संख्या A-11 अढावल रकबा 25.00 हे0 बालू/मोरम खनन क्षेत्र की जांच क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल, प्रभारी निरीक्षक थाना-ललौली, सर्वेक्षक प्रयागराज खनिज विभाग तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक रूप से किया गया। जिसमें पाया गया कि उक्त पट्टा धारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बालू/मोरम का खनन एवं परिवहन किया गया है, परन्तु यमुना नदी की धारा तक पहुंच कर जल धारा से अवैध रूप खनन किया गया है जो पर्यावरण/सार्वजनिक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम- 1984 का उलंघन है तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 41 का उलंघन है। अतः अपरोकानुसार पट्टाधारक व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।दिनांक 20.12.2020 भवदीय SD अजित कुमार पाण्डेय खान निरीक्षक फतेहपुर। MO. NO. -9453000549 नोट मै का0मु0 संजय यादव प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर अक्षरशः बोल बोल कर कम्प्यूटर पर अंकित करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SurendraPal Singh yadav Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No.(872411818 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना ललौली

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): Sandeep Tiwari
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 115022300

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

E.mail/ईमेल

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1352 /30–खनिज (2019–20) दिनांक 26/12/2020

नोटिस

श्रीमती रत्ना जादोन पत्नी श्री वीरेंन्द्र सिंह जादोन,
निवासी ई–7 एम–708 एरेरा कालोनी भोपाल (म0प्र0)
ई–मेल आई0डी0–ratnajadonetp@gmail.com

गठित टीम द्वारा दिनांक 20.12.2020 को आपके पक्ष में स्वीकृत मोरम खनन क्षेत्र ग्राम अढ़ावल खण्ड सं0–ए–11 की संयुक्त जॉच की गई, जॉच आख्या के अनुसार आपके खनन क्षेत्र में जॉच के समय खनन कार्य बन्द पाया गया। खनन क्षेत्र मे लगी वेट ब्रिज मशीन व कैमरा चालू हालत मे पाया गया, खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड कैमरा नही स्थापित था। स्वीकृत क्षेत्र में यमुना नदी की जलधारा तक पहुँच कर जलधारा से खनन किया गया है। जलधारा तक पहुचने के लिए आप द्वारा कैची/पहुँच मार्ग बनाकर खनन किया गया है। उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) 1963 के नियम–41 (ज) का उल्लंघन करने तथा पर्यावरण तथा लोक सम्पत्ति को नुकसान पहॅचाने के आरोप में दिनांक 20.12.2020 को थाना ललौली में आपके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

आपका उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) 1963 के नियम–41 (ज) का उल्लंघन है, जिसमे यह उल्लिखित है कि "पट्टेदार नदी तल मे तीन मीटर की गहराई अथवा जलस्तर जो भी कम हो, के परे कोई खनन संक्रियायें नही करेगा और कोई खनन जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र में नही किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि कोई खनन जलधारा मे सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि की सहायता से नही किया जायेगा"।

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) 1963 के नियम–59 (4) मे यह प्राविधानित है कि "नियम–41 (ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जलधारा मे सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पॉच लाख रूपये की दर से शास्ति के लिए दायी होगा, जो ज़िला मजिस्ट्रेट या निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।"

अतः उक्त के सम्बन्ध में आप एक सप्ताह के अन्दर स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरूद्ध नियम–41 (ज) के उल्लंघन के आरोप में प्राविधिनित नियम 59(4) के तहत प्रत्येक अवसर पर रु0–5,00,000.00 (पॉच लाख रुपये) का जुर्माना/शास्ति अधिरोपित किया जाये। उक्त विनिर्दिष्ट अवधि में आप द्वारा अपना पक्ष नही रखने पर यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है। तदोपरान्त प्राविधानित नियम के अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

24/12/2020

(संजीव सिंह)
जिलाधिकारी,
फ़तेहपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
2. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।

24/12/2020

जिलाधिकारी,
फ़तेहपुर।

Scanned with CamScanner

जिलाधिकारी फतेहपुर

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar Pradesh

Transaction No.: **AKD200279349**	Transaction Date: **28/12/2020**
Assessment Year: **2020-2021**	Tax Period: **ONETIME**
Name of the Bank:	***State Bank of India***
Unique Id:	
Depositor Name:	**RATNA JADON**
Depositor Address:	

Head	Description	Serial No.	Amount (In Rs.)
0853001020100000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	500000.00
	Totals of the above heads	--	500000.00

A SUM OF Rs. 500000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON *State Bank of India* HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositer Remarks->PAYMENT AGAINST DM NOTICE NO 1352 30 KHANIJ 26 12 2020 OF GRAM ADAVAL K NO A11 RATNA JADON)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAANBMXX4, Scroll Date:-NA
Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow referring CPAANBMXX4 for status of the deposit.

Scanned with CamScanner